



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrar@sua@yahoo.in

Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791

ग्रन्थांक/ 682 / अकादमिक/ 2023

अम्बिकापुर, दिनांक 27.06.2024

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. प्राचार्य
समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

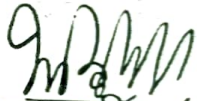
विषय :- शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु संशोधित अकादमिक कैलेण्डर जारी करने बाबत।

संदर्भ :- अवर सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) का आदेश क्रमांक 17-83/2018/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26.06.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संदर्भ में लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 की संशोधित अकादमिक कैलेण्डर संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त अकादमिक कैलेण्डर में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार


कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक/ 683 / अकादमिक/ 2024

अम्बिकापुर, दिनांक 27.06.2024

प्रतिलिपि :

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़, शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) का आदेश क्रमांक 17-83/2018/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26.06.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
4. उप कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यालयीन नरती।


कुलसचिव

30
25
30
30

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर
// आदेश //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /06/2024

26 JUN 2024

कमांक एफ 17-83/2018/38-2 :: राज्य शासन एतद द्वारा आयुक्त कार्यालय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन के संबंध में समय-सारणी में संशोधन हेतु प्रस्ताव अनुसार विभाग द्वारा जारी सेमेस्टर पद्धति के अकादमिक कैलेंडर में स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर हेतु निम्नानुसार संशोधन जारी किया जाता है :-

संशोधित समय-सारणी

अकादमिक कैलेंडर 2024-25 (प्रथम सेमेस्टर हेतु)

क्र.	अकादमिक कार्य/गतिविधियाँ	नियमित विद्यार्थियों हेतु	
		पूर्व में प्रसारित तिथि	संशोधित तिथि
1	प्रवेश की अंतिम तिथि	31.07.2024 तक (कुलपति के अनुमति से 14.08.2024 तक)	25.07.2024 तक (कुलपति के अनुमति से 31.07.2024 तक)
2	कक्षाओं का आरंभ	01 जुलाई 2024 से	यथावत
3	महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु इनडक्शन कार्यक्रम का आयोजन	-	01.08.2024
4	विद्यार्थियों द्वारा GE & VAC का चयन किया जाना	-	06.08.2024 तक
5	GE & VAC कोर्सवार विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया जाना	-	09.08.2024 तक
6	सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत विद्यार्थियों को असाइनमेंट का आबंटन	-	30.08.2024
7	सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत प्रथम टेस्ट/क्विज	21,22,23 अगस्त 2024	09,10,11,12 सितम्बर 2024

निरंतर.....

//2//

8	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत द्वितीय टेस्ट/विचज	24,25,26 सितम्बर 2024	21,22,23,24 अक्टूबर 2024
9	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत असाइनमेन्ट का मूल्यांकन	-	05 नवम्बर 2024 तक
10	प्रायोगिक परीक्षाएं, परीक्षा पूर्व तैयारी, लिखित परीक्षा, इंटर्नशीप एवं परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित तिथियां यथावत।		

2/ साथ ही सभी प्रवेशित विद्यार्थियों को न्यूनतम क्रेडिट अर्जन हेतु लगभग 15 सप्ताह/90 दिवस अध्यापन का अवसर प्राप्त हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों को निम्नानुसार निर्देश दिया जाता है :-

“प्रत्येक विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु मात्र दो सूची जारी की जाये जिसमें प्रथम सूची 27-29 जून के मध्य जारी कर एक सप्ताह प्रवेश के लिये समय प्रदान किया जाये। दूसरी सूची 07-09 जुलाई के मध्य जारी करते हुए पुनः एक सप्ताह तक प्रवेश हेतु समय दिया जाये। उपरोक्त दो सूची जारी करने के उपरांत सीट रिक्त होने की स्थिति में 15 जुलाई से महाविद्यालय स्तर पर मुक्त प्रवेश हेतु 07 दिवस का समय निर्धारित किया जाये। तदनुसार प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दिनांक 23 जुलाई 2024 को श्रेणी परिवर्तन कर महाविद्यालय स्तर पर दिनांक 25 जुलाई 2024 तक मुक्त प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

५८

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /06/2024

26 JUN 2024

पृ.कमांक एफ 17-83/2018/38-2
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर उनके ज्ञापन कमांक 549/187/आउशि/गु.प्र./2024, दिनांक 20.06.2024 के अनुक्रम में उपरोक्तानुसार निर्देश जारी किये जाने हेतु अग्रेषित।
3. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

५८